

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 81 /2021

दिनांक: 18.05.2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. /54/2021 दिनांक 02.03.2021 के द्वारा श्रीमती नीतू आर्य (RJ0447), तत्कालीन अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02, जोधपुर महानगर हाल अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मोजत (पाली) को दिनांक 01.03.2021 से 09.04.2021 तक 40 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 27.02.2021 से 28.02.2021 एवं 10.04.2021 से 11.04.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 01.03.2021 से 02.03.2021 तक 02 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

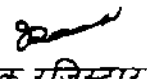
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/80/2002/ 3232

दिनांक : 18.05.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर।
3. श्रीमती नीतू आर्य (RJ0447), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मोजत (पाली) को उनके पत्रांक 138 दिनांक 16.04.2021 के सन्दर्भ में।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02, जोधपुर महानगर।
5. डॉ. मनोज जोशी (RJ0551), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-04, जोधपुर महानगर।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-04, जोधपुर महानगर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार